न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारीः— अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

प्र.सं.— 41/2019
जी.सी.एम.एस. : 2019/00215

1. गुरमीत पुत्र राजमल जाति रामदासिया निवासी 17 पीएस वर्तमान निवासी वार्ड नं. 18 रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

—:प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर
2. सरजीत सिंह पुत्र राजमल जाति रामदासीया निवासी चक 17 पीएस तहसल रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
3. बक्सकौर पत्नी सरजीत सिंह जाति चमार निवासी चक 17 पीएस तहसल रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

—:अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थितिः—

1. श्री लखविन्द्र सिंह, वकील प्रार्थी
2. श्री राजपैरोकार

—: निर्णय :—

दिनांक : 02.03.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी सं. 2 व 3 चक 17 पीएस तहसील रायसिंहनगर के प.नं. 164/283 मु.नं. 25 में 3.163है. बारानी भूमि गुरमीत सिंह 1.582है. व सरजीत सिंह, बक्श कौर बहिस्सा बराबर 1.581है. खातेदारी हैं व प.नं. 161/285 मु.नं. 36 के 1.949 है. नहरी भूमि वादी एवं प्रतिवादी सरजीत सिह संयुक्त खाता में बहिस्सा बराबर धारण करते हैं। वादी को गांव में मलकीयत सिंह पुकारते थे। इसलिए रिकार्ड जमांबदी चक 17 पीएस खाता सं. 83 की 3.163है. भूमि में वादी का नाम गुरमीत के स्थान पर मलकियत सिंह दर्ज किया गया। व जमाबंदी 17 पीएस खाता सं. 84 की 1.949है. भूमि वादी व सरजीत सिंह के नाम दर्ज हैं। वादी के दस्तावेज भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक में वादी का नाम गुरमीत अंकित हैं। वादी का सही नाम गुरमीत ही हैं। जिसका सरपंच ग्राम पंचायत 16 पीएस ने प्रमाणित किया हैं कि गुरमीत पुत्र राजमल जाति रामदासीया हाल निवासी रायसिंहनगर का रहने वाला हैं गुरमीत उर्फ मलकियतसिंह पुत्र राजमल एक ही व्यक्ति के नाम हैं। वादी सही नाम गुरमीत को राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाना चाहता हैं। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में जो मलकियतसिंह दर्ज किया गया हैं वह घरू नाम के आधार पर प्रतिवादीगण के कहे अनुसार दर्ज किया गया हैं। जमाबंदी में दुरूस्ती की जानी आवश्यक हैं। अतः चक 17 पीएस की जमाबंदी में वादी का नाम मलकियत सिंह के स्थान पर दुरूस्त कर वादी का नाम गुरमीत सिंह राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। एवं तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर से जांच रिपोर्ट मंगवाई गयी। अप्रार्थी सं. 2—3 ने इकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया कि यदि जमांबदी में मलकियत सिह के स्थान पर गुरमीत दुरूस्त कर राजस्व कागजात व जमाबंदी में अमल दरामद किया जाता हैं तो उन्हें कोई एतराज व आपत्ति नहीं हैं। तहसीलदार रायसिंहनगर से रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./जांच/20/3412 दिनांक 29.12.2020 प्राप्त हुई। मुताबिक रिपोर्ट चक 17 पीएस की जमाबंदी संवत 2074—77 के खाता सं. 90 मलकीयत सिंह पुत्र [illegible]मल कौम रामदासिया के नाम मु.नं. 25 प.नं. 164/283 में 1.582है. बारानी [illegible] खाता सं. 91 में मलकियत सिह पुत्र राजमल खातेदारी दर्ज हैं। इन्तकाल सं. 186 [illegible] के अनुसार मु.नं. 25 में 1.582है. मलकियत सिंह पुत्र राजमल [illegible] खातेदार के नाम से रिकार्ड में दर्ज हुआ हैं। इन्तकाल सं. 191 [illegible] सारी मु.नं. 36 का 0.97[illegible]स्सा मलकीयत सिंह पुत्र राजकमल कौम मेघवंशी के नाम [illegible] हुआ हैं। राजस्व रिका[illegible]स्तुत दस्तावेज अनुसार इंतकाल द्वारा मलकीयत सिंह के नाम दर्ज किया गया हैं। जो सही हैं।

अर्पिता
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.27 13:10:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए राजस्व रिकार्ड में मलकियत सिंह के स्थान पर प्रार्थी के सही नाम गुरमीत की दुरूस्ती कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी ने निवेदन किया हैं कि प्रार्थी का सही नाम गुरमीत हैं परन्तु गांव में प्रार्थी को मलकियत सिंह के नाम से जाना जाने के कारण त्रुटिवश प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गुरमीत के स्थान पर मलकियत सिंह दर्ज हो गया हैं। जिसकी दुरूस्ती का अनुतोष प्रार्थी द्वारा चाहा गया हैं। तहसीलदार रायसिंहनगर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकार्ड में प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार जरिए इंतकाल मलकीयत सिंह नाम दर्ज किया गया हैं जो सही हैं। रिपोर्ट के संलग्न प्राप्त नामान्तरकरण क्रमांक 186 एवं 191 चक 17 पीएस में राजमल के फौत होने के पश्चात विरास्तन एवं वसीयत अनुसार नामान्तरकरण दर्ज किये गये हैं। एवं रिपोर्ट के साथ प्राप्त चित्रप्रति वारिस प्रमाण पत्र राजमल में वारिस सूची में क्र.सं. 1 पर मलकीत सिंह दर्ज हैं। तथा चित्रप्रति आदेश उप तहसीलदार मुकलावा में भी मलकीयत सिंह पुत्र राजमल के नाम भूमि दर्ज करने के आदेश दिए गये हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना के साथ सरपंच ग्राम पंचायत 16 पीएस के प्रमाण पत्र दिनांक 01.06.2019 के अतिरिक्त ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हैं जिससे यह सिद्ध होता हो कि मलकियत सिंह व गुरमीत एक ही व्यक्ति के नाम है। ऐसी स्थिति में न्यायालय की मत में प्रार्थना स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट खारिज किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 02.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अर्पिता

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर.

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.27 13:10:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner